"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जून 2016—आषाढ़ 2, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-07/दो-गृह/रापुसे/2013. — छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, पुलिस महानिदेशक, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में,-

विनियम 816 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**816. महिला का परीक्षण.**-(क) जब साक्ष्य के प्रयोजन के लिए किसी महिला का परीक्षण चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा कराया जाना आवश्यक समझा जाये, तब ऐसा परीक्षण, शासन या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी महिला अथवा उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से, की जायेगी.

(ख) जब महिला, किसी अपराध की अभियुक्त हो जैसे-गर्भपात, प्रसव का छिपाना या बाल हत्या और उसका चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक माना जाये तब ऐसी प्रक्रिया, जो कि उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित है, का अनुसरण किया जायेगा :

परंतु यह कि बच्चे के जन्म के बाद ग्यारहवें दिन के पूर्व किसी महिला का आंतरिक परीक्षण नहीं किया जायेगा.

(ग) जहां परीक्षण बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने के अपराध की जांच के लिए की जा रही है, वहां कथित पीड़िता का ऐसा परीक्षण, उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा, ऐसे अपराध के घटित होने संबंधी सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर, किया जाना चाहिये :

परंतु यह कि जहां कथित पीड़िता अवस्यक है तो चिकित्सकीय परीक्षण में, बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का सं. 32) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिये :

परंतु यह और कि समस्त अन्य प्रकरणों में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 164क के अन्तर्गत उल्लेखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा.

स्पष्टीकरण -

(1) कथित बलात्संग के मामलों में, चिकित्सकीय परीक्षण का महत्व, महिला को समझाया जाना चाहिए, किन्तु यदि वह परीक्षण करने से इंकार करती है तो ऐसे तथ्य को, केश डायरी में लिखा जाना चाहिए एवं अन्य साक्ष्य अनिवार्य रूप से एकत्रित किये जाने चाहिये.

(2) इस विनियम में संदर्भित परीक्षण, शरीर के उन भागों के परीक्षण से संदर्भित है, जिनका प्रकटीकरण महिला के शील को आघात करता हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-2-07/दो-गृह/रापुसे/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 22nd June 2016

NOTIFICATION

No. F-2-07/Two-Home/2013. — In exercise of the powers conferred by Section 51 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the Director General of Police, with prior approval of the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Regulation, namely :-

AMENDMENT

In the said regulation,-

For Regulation 816, the following shall be substituted, namely :-

"**816. Examination of women** - (a) When the examination of a woman by a medical expert is deemed expedient for the purpose of evidence, such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or a local authority and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner, with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf.

(b) The same procedure as mentioned in above clause (a) will be followed when the woman is accused of an offence such as causing miscarriage, concealment of birth or infanticide and medical examination of her is deemed desirable :

Provided that no woman shall be internally examined before the eleventh day after child birth.

(c) Where the examination is for investigating the offence of rape or attempt to commit rape, such examination of the alleged victim should be done by a Female registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offence, followed by the procedure stated in above clause (a) :

Provided that where the alleged victim is a minor, the medical examination should follow the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (No. 32 of 2012):

Provided further that in all other cases the procedure established under section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall be followed.

Explanation - (1) In cases of alleged rape, the importance of medical examination should be explained to the woman, but if she refuses to an examination, such fact should be noted in the case diary and other evidence must be collected.

(2) The Examination referred to in this regulation refers to an examination of those parts of the body, the exposure of which offend a woman's modesty."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.